न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या–12, आगरा।
सीएनआरनं0–यूपीएजी010061672021
<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं0 3259/2021</u>

बॉबी उर्फ रोहित पुत्र हाकिम सिंह निवासी–हनुमान मन्दिर के पास, बसेरा, थाना न्यू आगरा, जिला आगरा। उम्र करीब 19 वर्ष।

————–प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राज्य ———————————————————————————— विपक्षी

धारा 457, 380, 411 भा0द0सं0
थाना न्यू आगरा, आगरा
मु0अ0सं0 118/2021

<u>दिनांक–07.06.2021</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त बॉबी उर्फ रोहित की ओर से मु0अ0सं0 118/2021 अन्तर्गत धारा 457, 380, 411 भा0द0सं0 थाना न्यू आगरा, जिला आगरा के मामले में योजित किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में राधादेवी का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने कथन किया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा किसी भी न्यायालय में एवं उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्रीमती आनन्दी कुमारी देवी ने थाना एत्माद्पुर में दिनांक 13.04.2021 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि ''दिनांक 11.04.2021 की रात्रि का समय करीब तीन बजे मैं दयालबाग सत्संग चली गई। उसके बाद मैं सत्संग से वापस घर लौटी तो देखा घर का ताला टूटा हुआ था और कमरे में सब सामान बिखरा हुआ था तब हमने 112 नं0 पर फोन किया। उसका इवेन्ट नं0 पी11042104210 है और हमारे घर से एक सोने की चैन दो सोने की अंगूठी, एक कान की झूमकी और 25,000 रूपये और कुछ जरूरी कामकाज का पेपर था जो बहुत जरूरतमन्द कागज था जो एक बैग में था जो अपने साथ ले गया। उसका नाम बॉबी है। पिता का नाम हकीम है जो बसेरा में ही रहता है। यह पहचान हमने, हमारे बगल में लगा सीसीटीवी कैमरा की वीडियों रिकॉर्डिंग में पहचान की है। 08.04.2021 को घर के सामने ऑटो में बैठा था तो हमने उसे वहॉ से भगा दिया था। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त बॉबी के विरूद्ध मु0अ0सं0–118/2021 धारा 457, 380 थाना न्यू आगरा, जिला आगरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जबकि अभियुक्त से चोरी के रूपयों के बरामदगी के आधार पर धारा 411 आईपीसी की बढ़ोत्तरी की गई है।

अभियुक्त के अधिवक्ता का तर्क यह है कि उपरोक्त केस में प्रार्थी/अभियुक्त को गलत तथ्यों के आधार पर वादिया मुकदमा व पुलिस ने आपस में सांठ–गांठ करके झूॅठा एवं रंजिशन फंसाया है। उसने चोरी जैसा कोई अपराध नहीं किया है। घटना दिनांक 10.04.2021 को 12 बजे से 3 बजे की है जबकि थाने में एफ.आई.आर. दिनांक 13.04.2021 को समय 14.34 बजे दर्ज कराई गई हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.04.2021 को वादिया के घर अपने पैसे मांगने गया था चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त रंगाई पुताई की मजदूरी करता है और प्रार्थी/अभियुक्त ने वादिया के घर में रंगाई पुताइ की थी। वादिया ने मजदूरी के 900 रूपये देने से स्पष्ट मना कर दिया। इसी बात को

लेकर झगड़ा हुआ था और प्रार्थी/अभियुक्त को मारापीटा था। जब इस बात की शिकायत प्रार्थी/अभियुक्त ने पुलिस में करने की बात कही, तो वादिया ने पुलिस से सांठ–गांठ कर उक्त केस में झूँठा फंसा दिया। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ना ही सजायाफ्ता है।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को वर्चुअल मोड के माध्यम से सुना तथा थाने से प्रस्तुत आख्या व केस डायरी का सम्यक् परिशीलन किया।

पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तगत मामले में अभियुक्त द्वारा वादिया के घर से एक सोने की चैन, दो सोने की अंगूठी, एक कान का झूमका व 25000/–रूपये चोरी करने का कथन किया गया है जबकि अभियुक्त के पास से 6900/–रूपये की बरामदगी दर्शायी गई अन्य किसी प्रकार की बरामदगी अभियुक्त से नहीं दर्शायी गई है। घटना दिनांक 11.04.2021 रात्रि की होना कहा गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.04.2021 को दो दिन के विलम्ब से दर्ज कराई गई है। वर्चुअल मोड से बहस के दौरान सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान होना कहा गया है लेकिन ऐसे किसी फुटेज को केस डायरी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त दिनांक 14.04.2021 से जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध है। अतः मामले के गुण दोष पर विचार किए बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त बॉबी उर्फ रोहित का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी/अभियुक्त बॉबी उर्फ रोहित को निम्न शर्तों पर रिहा किया जाता हैः–

1. प्रार्थी/अभियुक्त मु0 50,000/–रूपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा एवं आरोप विरचित किये जाने के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो इस अपराध से मिलता–जुलता हो।
4. प्रार्थी/अभियुक्त अन्वेषण/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विवेचना/विचारण में किसी साक्षी को डरायेगा या धमकायेगा नहीं और विचारण के दौरान साक्षी उपस्थित होने पर स्थगन नहीं लेगा।
6. प्रार्थी/अभियुक्त यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो सम्बन्धित न्यायालय जमानत निरस्त करने का अधिकारी होगा।

ह0/–
प्रभारी, अपर जनपद न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–12, आगरा।

दिनांक–07.06.2021